

कोर्ट-केस
अतिआवश्यक

प्रेषक,

सेवा में,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक / / 2026

विषय : डा० रविरंजन नाथ तिवारी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
मढ़ौरा, सारण का 90% औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि डा० रविरंजन नाथ तिवारी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढ़ौरा, सारण दिनांक-28.02.2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डा० रविरंजन नाथ तिवारी के विरुद्ध विभागीय ज्ञापांक-404(9) दिनांक-18.06.2024 एवं 662(9) दिनांक-25.06.2026 द्वारा आरोप पत्र गठित रहने के कारण उन्हें बिहार पेंशन नियमावली-43(ग) एवं वित्त विभागीय अधिसूचना-77, दिनांक-21.01.2019 के आलोक में मात्र 90% औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि इनके विरुद्ध किसी बकाया राशि/असमायोजित अग्रिम आदि की वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी वसूली नियमानुकूल की जाएगी।

(3) इस पत्र के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक सलग्न हैं :-

- पेंशन प्रपत्र दो प्रति में
- संयुक्त फोटो
- हस्ताक्षर का नमूना
- पारिवारिक सदस्यों की सूची
- सेवा इतिहास
- विभागीय बकाया रहित प्रमाण-पत्र
- दीर्घकालीन बाकी/बेबाकी प्रमाण-पत्र
- प्रभार रिपोर्ट एवं वेतन पूर्ण
- कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, नालन्दा भवन प्रमण्डल, छपरा द्वारा निर्गत मॉग रहित प्रमाण पत्र।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त प्रकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

(5) विदित हो कि उक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका नं-8021/2026 में दिनांक-27.07.2026 को पारित आदेश से अच्छादित है।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक-2/कोर्ट-71/2026-

पटना, दिनांक 18/9/2026

लिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढ़ौरा, सारण/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण/डा० रविरंजन नाथ तिवारी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढ़ौरा, सारण पत्राचार का पता-महमूद चौक से पश्चिम राजेन्द्र स्टेडियम के पीछे दनियावाँ, छपरा, पो०-छपरा, थाना-नगर, जिला-सारण, पिनकोड-841301/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नोट : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव